न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 26 / 2024
प्रकरण दर्ज तिथि :— 09.02.2024
जीसीएमएस नम्बर :— 2024 / 45

दिलीप कुमार चौहान पुत्र श्री गुगनाराम, उम्र—59 वर्ष, जाति माली, निवासी मोहरा कलां तहसील—रायपुर, जिला—ब्यावर (राज.)
वादी

बनाम

1. आर. अशोक कुमार पुत्र श्री राजीराम उर्फ राजाराम उम्र—वयस्क, जाति माली
2. आर. भंवरलाल पुत्र श्री राजीराम उर्फ राजाराम उम्र—वयस्क, जाति माली
3. आर. रमेश कुमार पुत्र श्री राजीराम उर्फ राजाराम उम्र—वयस्क, जाति माली
4. कमलादेवी पत्नि श्री राजीराम उर्फ राजाराम उम्र—वयस्क, जाति माली
5. घीसीदेवी पत्नि श्री लालुराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
6. चेतनलाल पुत्र श्री नेनाराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
7. तेजाराम पुत्र श्री काना, उम्र—वयस्क, जाति माली
8. त्रिवेणी कुमार पुत्र श्री लालुराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
9. दुदाराम पुत्र श्री खीया, उम्र—वयस्क, जाति माली
10. देवाराम पुत्र श्री काना, उम्र—वयस्क, जाति माली
11. दिनेश पुत्र श्री काना, उम्र—वयस्क, जाति माली
12. नवरतन पुत्र श्री काना, उम्र—वयस्क, जाति माली
13. प्रकाशचन्द पुत्र श्री नैनाराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
14. मदनलाल पुत्र श्री नैनाराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
15. मैनादेवी पुत्री श्री राजीराम उर्फ राजाराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
16. मोहनलाल पुत्र श्री खीया, उम्र—वयस्क, जाति माली
17. रामचन्द्र पुत्र श्री गणेशराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
18. सुन्दरी पत्नि श्री काना, उम्र—वयस्क, जाति माली
19. सोहनलाल पुत्र श्री काना, उम्र—वयस्क, जाति माली
20. धर्मा पुत्र श्री पुखा, उम्र—वयस्क, जाति माली
21. पंकज पुत्र श्री लालुराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
22. लक्ष्मण पुत्र श्री लालुराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
23. अमलीदेवी पत्नि श्री पुखाराम, उम्र—वयस्क, जाति माली
24. भोमा पुत्र श्री जोरा, उम्र—वयस्क, जाति जाट, समस्त निवासी गण मोहरा कलां तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
25. गोविन्द लाल पुत्र श्री पोकर, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी कुशालपुरा
26. पारसमल पुत्र श्री पोकर, उम्र—वयस्क, जाति माली, निवासी कुशालुपरा
27. संजयकुमार पुत्र श्री पोकर, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी कुशालपुरा
28. सोहनलाल पुत्र श्री पोकर, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
29. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला ब्यावर राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2 श्री भूपैन्द सैन प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या (16) उपस्थित एवं शेष प्रतिवादीगण संख्या 01, से 15, 17 से 28 अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः 05.05.2025

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा मोहरा कलां पटवार हल्का—मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र —देवली कलां, तहसील—रायपुर, जिला—ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2073—2076 जमाबन्दी 2077 के खाता सं. 2 खसरा सं. 5 रकबा 7.8833 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खाता सं. 153 खसरा सं. 13 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै. मु.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (ब्यावर)

ेग, खसरा सं. 14 रकबा 1.7404 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 23 रकबा 3.7312 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 24 रकबा 2.2096 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 25 रकबा 5.3176 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खाता सं. 154 खसरा सं. 20 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम कृषि भुमि आई हुई है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कृषि भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2073– 2076 कि प्रमाणित प्रति राजस्व नक्शे कि ईमित्र से प्राप्त प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त विवादित भुमि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भुमि है जिसमे वादी सं. 1 का खाता सं. 2 मे 1/10 वा हिस्सा एवं खाता सं. 153 मे व 154 मे वादी सं. 1/20 वा हिस्सा बनता हैं। खाता सं. 153 मे वादी का नाम दिलीप राज दर्ज जिस परिवर्तन एवं शुद्व किया जाकर दिलीप कुमार चौहान किया जावें। विवादित भुमि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक रूप से मौके पर बंटवाडा हो रखा था जिस अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भुमि पर रुप्ये लगाकर उपजाउ बनाया है एवं खाद डालकर उपजाउ बनाया है, एवं मौखिक बंटवाडा के अनुसार मौके पर काबिज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे एक खाते के रुप मे एवं राजस्व नक्शे मे एक जोत मे दर्ज इन्द्राज है जिस कारण वादी को सरकारी सहायता ऋण लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा है।

प्रतिवादीगण ने वादी के मध्य आये दिन माठ को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उपजाउ भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है जिस कारण वादी ने अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 28 के हिस्से की भूमि से अलग करवाना चाहते है,। वादी का प्रतिवादीगण से अन्य प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भुमि मे आने जाने पर आये दिन झगडा फसाद होने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए वादी विवादित भुमि का मौके पर कब्जे अनुसार एवं मौखिक बॅटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बॅटवाडा करवाना चाहते हैं। उक्त विवादित आराजियात मे वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा नहीं हाने के कारण भुमि मे आने जाने के लिए आये दिन झगडा फसाद होने की सम्भावना बन हुई रहती है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं व बहैसियत मालिक अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 28 के विच पुर्व मे मौके पर बन्टवारा हो रखा था परन्तु प्रतिवादीगण वादी के मध्य आये दिन माठ को लेकर विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है। वादी एवं प्रतिवादीगण को यह सम्भावना रहती है कि प्रतिवादीगण वादी की भुमि पर कब्जा नही कर ले क्योकिं राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा नहीं हो रखा हैं, अतः राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाकर जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का दर्ज रेकर्ड हिस्सा अनुसार अलग खसरा नं. लगाकर अंकन किया जावें। राजस्व नक्शे मे भी अलग अलग इन्द्राज किया जावे एवं लगान भी बाटॉ जावे । जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद समाप्त हो जाये एवं वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से कि भुमि को उपजाउ बना सके।

राजस्व रेकर्ड मे विवादित भुमि सामलाती होने के कारण एवं विवाद होने की सम्भावना को देखते हुए दिनॉक 02/02/2024 को वादी ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया कि आप मेरी भुमि पर कब्जा क्यो कर रहे है मैने बडी मुसीबत से एवं लाखो रूपये खर्च कर व खाद डाल मेहनत कर इसे उपजाउ बनाया है। तब प्रतिवादीगण ने वादी को बॅटवाडा करने से मना की दिया। वादी के बार बार अपना हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बन्टवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण उसका हक हिस्सा नहीं देना चाहते एवं न ही राजस्व रेकर्ड मे बन्टवाडा करना चाहते है वादी के बन्टॅवाडा करने के निवेदन से प्रतिवादीगण ने बन्टवारा करने से मना देने के कारण वाद का

राजस्व कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (ब्यावर)

ारण उत्पन्न हुआ। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार राजस्व रेकर्ड में बन्टवारा करवाने को कहा तब प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि उपरोक्त वर्णीत विवादीत आराजियात मे पुरा का पुरा हिस्सा हमारा हैं तुम यहां कुछ नही मागते हो, हमं पुरे खसरे को किसी अजनबी को बेचान कर देंगे, जबकि प्रतिवादीगण को बिना बंटॅवाडा किये ऐसा करने का कानूनी हक अधिकार नहीं हैं। वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार बन्टवारा करवाया जावें एवं वादी को मौके पर पत्थर गढी, मेखम बंदी करवाई जावे तथा खसरा व खाता अलग निर्धारण कर लगान अलग अलग खोला जावे व नक्शे मे हिस्से अनुसार तरमीम करवाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रथक से नाम दर्ज करवाया जावें। वादी ने अपने हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा वादी ने अपनी भुमि मे लाखों रूप्ये लगाकर उपलाउ बनाया हे अगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी मे. वादी के हिस्से के किसी भू भाग को अपनी जमीन मे मिला देते है या बेचान कर देता हैं तो वादी को अपनें हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं हैं।

डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय से सादिर फरमावे की वाद में वर्णित भूमि भुमि वादी व प्रतिवादीगण की साामलाती खातेदारी भुमि है उक्त विवादित भुमि को वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विवादित भुमि का मोके पर कब्जे के अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है इसलिए विवादित भुमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सामलाती भुमि व सामलाती खाता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बॅटवाडा कर खाता अलग अलग किया जावें व नामान्तरण अलग अलग भरा जाकर जमाबन्दी अलग की जावें लगान को बाटा जावे व नक्शा ट्रेश में अलग से तरमीम की जावें व मौके पर नेखेम बंदी कर पत्थर गड्डी करवाई जावें, तथा वादी को उस हिस्से का खातेदार काश्तकार फरमाया जावे राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन की जावे। खाता सं. 153 मे वादी का नाम दिलीप राज दर्ज जिस परिवर्तन एवं शुद्व किया जाकर दिलीप कुमार चोहान किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की
तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 15 तथा 17 से 28 के सम्मल की तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त
अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं इसीलिए इन प्रतिवादीगण, पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी
अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 16 की ओर से
श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया हैं जो संलग्न किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर
जबाव नहीं देना चाहते। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहते। वादी
अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक
डिकी जारी कर बंटवाडा किया जावें। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की हैं।
बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् अधिवक्तागण की
उभयपक्ष बहस समायत की गई।
सहमति से वादपत्र में बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी की गई।
प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/
2025/516 दिनांक 06.03.2025 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।जो संलग्न पत्रावली
किया गया।

वादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया
हैं इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपन सहमति
जताई हैं। उभयपक्ष बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव
तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर
द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित
प्रतीत होता हैं।

(हस्ताक्षर)
राजस्व कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में मौजा मोहरा कलां पटवार हल्का–मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र –देवली कलां, तहसील–रायपुर, के खसरा सं. 5 रकबा 7.8833 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 13 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा सं. 14 रकबा 1.7404 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 23 रकबा 3.7312 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 24 रकबा 2.2096 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 25 रकबा 5.3176 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 20 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

दिलीप कुमार चौहान पुत्र श्री गुमनाराम, उम्र–59 वर्ष, जाति माली, निवासी मोहरा कलां तहसील–रायपुर, जिला–ब्यावर (राज.)
वादी

बनाम

1. आर. अशोक कुमार पुत्र श्री राजीराम उर्फ राजाराम उम्र–वयस्क, जाति माली
2. आर. भंवरलाल पुत्र श्री राजीराम उर्फ राजाराम उम्र–वयस्क, जाति माली
3. आर. रमेश कुमार पुत्र श्री राजीराम उर्फ राजाराम उम्र–वयस्क, जाति माली
4. कमलादेवी पत्नि श्री राजीराम उर्फ राजाराम उम्र–वयस्क, जाति माली
5. घीसीदेवी पत्नि श्री लालुराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
6. चेतनलाल पुत्र श्री नेनाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
7. तेजाराम पुत्र श्री काना, उम्र–वयस्क, जाति माली
8. त्रिवेणी कुमार पुत्र श्री लालुराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
9. दुदाराम पुत्र श्री खीया, उम्र–वयस्क, जाति माली
10. देवाराम पुत्र श्री काना, उम्र–वयस्क, जाति माली
11. दिनेश पुत्र श्री काना, उम्र–वयस्क, जाति माली
12. नवरतन पुत्र श्री काना, उम्र–वयस्क, जाति माली
13. प्रकाशचन्द पुत्र श्री नैनाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
14. मदनलाल पुत्र श्री नैनाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
15. मैनादेवी पुत्री श्री राजीराम उर्फ राजाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
16. मोहनलाल पुत्र श्री खीया, उम्र–वयस्क, जाति माली
17. रामचन्द्र पुत्र श्री गणेशराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
18. सुन्दरी पत्नि श्री काना, उम्र–वयस्क, जाति माली
19. सोहनलाल पुत्र श्री काना, उम्र–वयस्क, जाति माली
20. धर्मा पुत्र श्री पुखा, उम्र–वयस्क, जाति माली
21. पंकज पुत्र श्री लालुराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
22. लक्ष्मण पुत्र श्री लालुराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
23. अमलीदेवी पत्नि श्री पुखाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली
24. भोमा पुत्र श्री जोरा, उम्र–वयस्क, जाति जाट, समस्त निवासी गण मोहरा कलां तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
25. गोविन्द लाल पुत्र श्री पोकर, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी कुशालपुरा
26. पारसमल पुत्र श्री पोकर, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी कुशालपुरा
27. संजयकुमार पुत्र श्री पोकर, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी कुशालपुरा
28. सोहनलाल पुत्र श्री पोकर, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
29. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला ब्यावर राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री भूपैन्द्र सैन मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया उक्त वादपत्र में वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में मौजा मोहरा कलां पटवार हल्का–मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र –देवली कलां, तहसील–रायपुर, के खसरा सं. 5 रकबा 7.8833 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 13 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा सं. 14 रकबा 1.7404 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 23 रकबा 3.7312 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 24 रकबा 2.2096 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 25 रकबा 5.3176 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 20 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज.......................... ....मुवलिक................ ....बाबत............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.05.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुदई		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	—	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	—	02	00
स्टाम्प वजह सबूत	—	00	00
मेहनताना वकील	—		
खर्चा गवाहान	—		
फीस कमिश्नर	—		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—		
मुतफरिक	—	6	00
मीजान		10	00

मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा	—	005	00
स्टाम्प हाजरी	—		
मेहनताना वकील पर	—		
खर्चा गवाहान	—		
फीस कमिश्नर	—		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—		
मुतफरिक	—	00	00
मीजान		005	00

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।